

२२/१२/२५

अधिवक्ता अपीलान्त उप. / रसो. अधिवक्ता उप. / अधिवक्ता
अपीलान्त ने दिनांक १९/१२/२०२५ को प्रार्थना पत्र वाकत अपील
विज्ञापन करने हेतु पेश किया। अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन
किया कि प्रकरण में फ़रारों के बीच लोक अदालत की भावना
से तथा आपसी समझौता से समझौता हो चुका है। अतः
ऐसी स्थिति अपीलान्त उक्त अपील में अपने कोई कार्यवाही
नहीं चलाना चाहता है। अतः अपीलान्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार
करते हुए अपील विज्ञापन क्रिये जाने का आदेश करणसे। प्रार्थना
पत्र का अवलोकन किया, न्यायद्वैत में प्रार्थना स्वीकार

संयोजक अधिवक्ता प्राधिकरण
वक्ता

क्रिया जाकर अपील परिये विद्वे खारिज हो जाती है। फसल नुमांर छेकर नम्बर से कम होकर दायित्व ब्यक्त हो।

Handwritten signature

राजस्य अपील प्राधिकार माली